प्रेषक,

मुख्य अभियंता (सोन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान बेंच, नयी दिल्ली।

पत्रांक–ई–2361/सोन/134बी–कोर्टकेस/ओ0ए0सं0–176/2024/ओ0, दिनांकः वाराणसीः 21 अगस्त:2024

विषयः ओ0ए0संख्या–176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 10.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या–176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के प्रस्तर–4 में प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रतिवादी संख्या–2 बनाया गया है तथा ई–मेल से Response/Reply प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में शासकीय पत्र संख्या–1723/24–27–सिं0–4–E-2923241, दिनांक 21.08.2024 द्वारा अनुमोदित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः–

"डोंगिया जलाशय स्थल का संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 01.08.2024 को निरीक्षण किया गया। डोंगिया, रिहन्द जलाशय का ही एक स्थल है जो कि रिहन्द बॉध के अप–स्ट्रीम से लगभग 05 कि0मी0 की दूरी पर दायें पार्श्व पर स्थित है। दिनांक 01.08.2024 को रिहन्द जलाशय का जल स्तर 870 फीट के सापेक्ष 838.3 फ़ीट है। उक्त प्रकरण रिजर्व फॉरेस्ट के जंगल तथा पेड़ों को काटकर सड़क को अतिक्रमित करने के सम्बन्ध में है, जिससे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 का सम्बन्ध नहीं है। यहॉ यह भी अवगत कराना समीचीन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2001 में असाधारण गजट संख्या–348/पी0/2001–24/ दिनांक 25.01.2001 के द्वारा रिहन्द बॉध, रिहन्द जलाशय एवं अन्य समस्त परिसम्पत्तियों पर उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती) एवं वर्तमान में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन नि0लि0 का स्वामित्व घोषित किया जा चुका है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के खण्ड द्वारा मात्र सामान्य अनुरक्षण का कार्य उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन नि0लि0 द्वारा प्राप्त होने वाले धन से कराया जाता है। दिनांक 01.08.2024 को संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 से सम्बन्धित कोई भी बिन्दु नहीं है।"

उक्त रिस्पान्स प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के तरफ से प्रस्तुत है।

भवदीय,

21/08/24

(एस0के0 सिंह)
मुख्य अभियंता (सोन)

21.08.2024

पत्रांक–ई–2361/सोन/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या–1723/24–27–सिं0–4–E-2923241, दिनांक 21.08.2024 के संदर्भ में ।
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता, स्तर–1 (विन्ध्याचल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, ओबरा–सोनभद्र।
5. अधिशासी अभियंता एवं पैरोकार, रिहन्द बॉध सिविल खण्ड, पिपरी–सोनभद्र।

(एस0के0 सिंह)
मुख्य अभियंता (सोन)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1723 /24-27-सिं.4 -E-2923241

प्रेषक,

अनिल पवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय मु० अ० (सोन)
डा०सं०....3-2361....
दिनांक....21-08-2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2024

विषय : ओ.ए. 176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 10.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या मु.अ.(जी०सी०)अ.नि.म.-1 अ.नि.ख.दिनांक 20.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा ओ.ए.176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 10.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या उपलब्ध करायी गयी करायी गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि ओ.ए.176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में याची द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.05.2024 द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन करते हुए नामित नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड को दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या-1 से 6 द्वारा विभागीय प्रतिशपथ पत्र मा.अधिकरण में दाखिल किये जाने के आदेश दिए गए हैं।

3- मा. अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 के पत्र संख्या-1493/24-27-सिंचाई-4-क.स.1830678 दिनांक 24 जुलाई 2024 द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ.प्र.वाराणसी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है (प्रति संलग्न)। मा.अधिकरण के आदेश के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट दिनांक 16-8-2024 को प्रस्तुत किया गया जिसे प्रति प्रतिशपथ पत्र के रूप में मा.अधिकरण में दाखिल करने का दायित्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड लखनऊ को दिया गया है।

4- मा. अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की आख्या निम्नवत् है:-

" डोगिया जलाशय स्थल का संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 01.08.2024 को निरीक्षण किया गया। डोगिया, रिहन्द जलाशय का ही एक स्थल है जो कि रिहन्द बाँध के अपस्ट्रीम से लगभग 05 कि०मी. की दूरी पर दाये पार्श्व पर स्थित हैं। दिनांक 01.08.2024 को रिहन्द जलाशय का जल स्तर 870 फीट के सापेक्ष 838.3 फीट है। उक्त प्रकरण रिजर्व फॉरेस्ट के जंगल तथा पेडों को काटकर सड़क को अतिक्रमित करने के सम्बन्ध में हैं, जिससे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० का सम्बन्ध नहीं है। यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2001 में असाधारण गजट संख्या 348/पी०/ 2001-24/ दिनांक 25.01.2001 के द्वारा रिहन्द बाँध, रिहन्द जलाशय एवं अन्य समस्त परिसम्पत्तियों पर उ०प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती) एवं वर्तमान में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (सोन)
कृते मुख्य अभियन्ता (सोन)

Scanned with OKEN Scanner

नि०लि० का स्वामित्व घोषित किया जा चुका है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० के खण्ड द्वारा मात्र सामान्य अनुरक्षण का कार्य उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन नि० लि० द्वारा प्राप्त होने वाले धन से कराया जाता है। दिनांक 01.02.2024 को संयुक्त समिति द्वारा किए गये निरीक्षण की रिपोर्ट संलग्न है,जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० से सम्बन्धित कोई भी बिंदु नहीं है।"

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया [illegible] उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से शासन की ओर प्रतिशपथ पत्र तैयार कराकर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल [illegible])

संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य अभियंता जल संसाधन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(2) मुख्य अभियंता (तराई) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० [illegible]

आज्ञा से,

([illegible])

उप सचिव

Joint Committee Report in pursuant to order dated 10.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 176/2024 Ajeet Kumar Gupta Versus State of UP & Ors.

1. Hon'ble NGT vide its Order 10.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 176/2024 Ajeet Kumar Gupta Versus State of UP & Ors., instructed the following:-

"5.....we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Development Department, Government of Uttar Pradesh, Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Sonbhadra and Divisional Forest Officer, Sonbhadra direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Reply/response by respondents no. 1 to 6 and Report of the Joint Committee be filed within two months through e-filing portal in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

7. List the matter for further consideration on 23.08.2024....."

2. In order to above, the following members have been nominated by the concerned departments for the said committee:-

   a. Shri Shadeo Kumar Mishra, ADM (F/R), Sonbhadra nominated by the District Magistrate, Sonbhdra.

Scanned with OKEN Scanner

b. Shri Bhanendra Singh, Divisional Forest Officer, Renukoot Forest Division, Renukoot, Sonbhadra Nominated by the Additional Principal Secretory Department of Environment, Forest and climate change, Government of U.P.

c. Shri Kunj Mohan Verma, Divisional Forest Officer 'DFO', Sonbhadra.

d. Shri Sushil Kumar Singh, Executive Engineer, Rihand Dam Civil Division Pipri, Sonbhadra.

e. Shri Umesh Kumar Gupta, Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra nominated by the Member Secretory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

3. That the relevant part of the letter petition enumerating grievances of the applicants is reproduced as follows:-

"……विषय–डोंगिया जलाशय पिपरी सोनभद्र के रिजर्व फारेस्ट में नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन तथा E.O. (Executive Officer) द्वारा जंगलों को कटवा कर अवैध कब्जा करने तथा वन, वन्यजीवों एवं जलीय जंतुओं के जीवन को उत्पन्न आसन्न संकट विषयक।

महोदय,

निवेदन है कि डोंगिया जलाशय पिपरी, सोनभद्र का सम्पूर्ण हिस्सा रिजर्व फारेस्ट में आता है तथा यहाँ घना जंगल है, जिसमें हिरण, तेंदुआ, साही, भेड़िया, मोर, लंगूर, बंदर तथा अन्य जंगली जानवरों का निवास स्थान है तथा डोंगिया जलाशय के जल में मगरमच्छों का निवास है तथा पानी के बीच स्थित टापू पर मगरमच्छों का मिलन स्थल (Basking site) है। इस जगह पर नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा E.O. (Executive Officer) द्वारा अपने लोगों के साथ मिलकर रिजर्व फारेस्ट के जंगल को चोरी छिपे कटवा कर स्वयं तथा अपने भाईयों और सम्बधियों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। वन विभाग की कुछ जमीन पर नगर पंचायत पिपरी के अध्यक्ष द्वारा अवैध कब्जा करके गौशाला का निर्माण भी किया गया है। वहाँ कई जगहों पर इनके भाइयों, मित्रों तथा रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों को भी इन्होंने कब्जा करवाया है, जिसके लिए इनके ऊपर कई बार वन विभाग ने मुकदमा भी दर्ज कराया है। वर्तमान समय में नगर पंचायत पिपरी अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह, कार्यकारी अधिकारी तथा इनके साथ के लोग मिलकर वन विभाग के रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित डोंगिया जलाशय तक जाने के लिए पेड़ों को काटकर सड़क चौड़ा कर रहे हैं तथा डोंगिया जलाशय पर कब्जा करके वहां पर व्यक्तिगत बोटिंग स्थापित करना चाहते हैं।, तथा साथ ही साथ पानी के बीच स्थित एक टापू पर, जो घने

Scanned with OKEN Scanner

जंगलों से आच्छादित है पर भी पेड़ों की कटाई करवा के अवैध कब्जा कर रेस्टोरेंट खोलने की कवायद चल रही है। इसके लिए अपने लोगों को भी रिजर्व फारेस्ट में अवैध रूप से बसाने हेतु जंगलों की कटाई इन लोगों द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए वन विभाग पिपरी ने उनके ऊपर कार्यवाही भी किया है, लेकिन वन विभाग द्वारा किये जा रहे किसी भी कार्यवाही का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। क्योंकि नगर पंचायत पिपरी के अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह स्वयं को जंगल का राजा व भूमाफिया कहते हैं और एक दबंग प्रकार के व्यक्ति हैं। उनके इस प्रकार के क्रिया कलापों से वन, वन्यजीवों, जल–जीवों तथा मानव जीवन को को भी खतरा है। वहाँ आये दिन अवैध कब्जे को लेकर जंगलों की अवैध कटाई होती रहती है तथा वन्य जीवों का शिकार भी किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़े मगरमच्छ को मार कर बड़े ही बेरहमी से उसका सिर, धड़ से अलग कर दिया गया जिसका पोस्टमार्टम वन विभाग पिपरी द्वारा कराया गया। इसके पूर्व शिकार कर के हिरण तथा मोर को भी मारा गया। इन सभी मृत जीवों की फोटो साथ में संलग्न है तथा इसका पूर्ण विवरण वन विभाग पिपरी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वहाँ (डोंगिया जलाशय पिपरी) पर नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास जारी है तथा पानी के बीच स्थित उक्त टापू पर, जो मगरमच्छों का बास्किंग साइट है पर रेस्टोरेंट बनाने के लिए जिला प्रशासन तथा वन विभाग पर ऊपर से (शासन तथा सरकार को भ्रमित कर के तथा गलत सूचना के आधार पर) दबाव डलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही डोंगिया जलाशय, रिहंद डैम काफी संवेदनशील एरिया है तथा काफी गहरा है।

वहाँ की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर्यटन को बढ़ावा हेतु नौका संचालन कर रही संस्था ने भी 3 माह पूर्व ही लिखित रूप से जिला पर्यटन अधिकारी सोनभद्र को, वहाँ (डोंगिया जलाशय पिपरी में) किसी भी पर्यटन सम्बंधी क्रिया कलाप को न करने सम्बंधी अपना सुझाव/रिपोर्ट दिया था, जिसकी कापी साथ में संलग्न है,। उक्त संस्था द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र ने नौका संचालन तुरंत बंद करा दिया। वन विभाग पिपरी ने वन क्षेत्र पर अवैध कब्जा को लेकर नगर पंचायत पिपरी के वर्तमान चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह, उनके भाई, मित्रों सम्बन्धियों तथा नगर पंचायत पिपरी के कार्यकारी अधिकारी के ऊपर FIR भी किया है तथा केस भी काटा है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

FIR No.–155/2019

Sections (धाराएं) –

1:- 5/26 of IFA-1927

2:- 3(2) of FCA 1980

3:- 27, 29, 39 D, Sec. of WLPA 1972

4:- 3(2) S. of Public Property 19845:- Sec. 447 of IPC

अभियुक्त

1:– अनिल सिंह पुत्र आर०पी० सिंह

2:– दिग्विजय सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह

आरोप पत्र संख्या–A-158 11/09/2019

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या– 6001/2020)

CJM Court Sonbhadra

कुछ प्राप्त FIR की कापी साथ में संलग्न है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि डोंगिया जलाशय, रिहंद डेम का हिस्सा होने के कारण अति संवेदनशील है। उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा वन, वन्य जीवों, जल– जीवों, प्रकृति, पर्यावरण तथा मानव जीवन को उत्पन्न आसान संकट से बचाने हेतु वहाँ किसी भी प्रकार के पर्यटन संबंधित क्रियाकलापों तथा टापू पर नगर पंचायत द्वारा बनाए जाने वाले रेस्टोरेंट को पूरी तरह से रोक देने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। तथा साथ ही नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा उनके भाईयों, मित्रों तथा नगर पंचायत पिपरी के कार्यकारी अधिकारी के ऊपर अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा साथ ही जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग को भी वहाँ नौका विहार तथा किसी भी प्रकार के पर्यटन विकास के कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि वन, वन्य जीव, जल जीव के साथ–साथ मानव जीवन, प्रकृति तथा पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके....."

4. The Committee members discussed and decided a date for carrying out field visit on 01.08.2024. Intimation letter has been issued to all concerning department by UPPCB vide letter dated 27.07.2024 (Annexure-A). The joint committee conducted the site visit on the date-01.08.2024 along with applicant namely Shri Ajeet Kumar Gupta.

5. The salient observations found during visit and recommendation made by the joint committee members are summarized as follows: -

I. **Field Observations:**

a) There was no ongoing boating activity was observed by the team on the 'Dongia Reservoir'.

b) There was no construction of restaurant found by the team at the 'Dongia Reservoir'.

Scanned with OKEN Scanner

c) There was no found any direct evidence of tree cutting near bank of 'Dongia Reservoir' during spot visit.

d) During the visit it was observed that earlier efforts were made to widen the road but at the time of visit, work found to be closed. Divisional Forest officer informed that legal action was taken against persons involved in road widening work after that work was stopped.

e) The structure of old cow shed was found situated approximate 500 meter away from bank of 'Dongia Reservoir 'in notified area of Nagar Panchyat Pipri-Sonbhadra.

f) There was no found animal dead body during ground inspection. However, Divisional Forest Officer 'DFO' Renukoot, Sonbhadra informed that the dead body of wild animal within forest area found in past and disposed after postmortem by veterinary officer.

II. Spot-Memo prepared based on ground inspection in the presence of joint committee members and other staff as well as applicant namely Shri Ajeet Kumar Gupta, which is attached herewith as Annexure-B.

III. Photographs of site visit are as follows: -

Scanned with OKEN Scanner

6. The Nagar Panchayat, Pipri Sonbhadra advertised a tender through daily news-paper for establishment of barricading, coloured cemented seating bench, iron mesh including other works as per record provided by forest division. However after objection by the forest department, Nagar Panchayat Pipari, Sonbhadra vide its letter dated 03.11.2023 informed that above mentioned work as construction / any other work is not going on and stopped per instruction of District Magistrate, Sonbhadra. Copy of letter dated-03.11.2023 is attached herewith as Annexure-C.

7. Divisional Forest officer Renukoot informed that said area was under the Class-B Forest, which was considered as a reserved forest in 1907. These type of land falls under the category of reserved forest under section of 20 A of Indian forest Act 1927. After that the said area was transferred to the forest department by the Revenue department in 1950 for the management by the order of Governor of Uttar Pradesh. Without considering the above facts a notification to constitute the Nagar Panchayat-Pipri was issued in 1958. Since to declare any old reserve forest to the reserved forest under section 20 of

Scanned with OKEN Scanner

Indian Forest Act 1927, it essential to notify the old reserve again under the section 4 of Indian Forest act 1927. Hence a notification was issued by the Governor of Uttar Pradesh to notify the said area under section 4 of Indian forest act 1927 in 1966. Right now, the matter is under proceeding of Forest settlement as per provisions of Indian Forest act 1927.

8. Divisional Forest Officer 'DFO' Renukoot, Sonbhadra informed that the matter about to widening work of the road within forest area came into light in past. For which, action had initiated against defaulters by concerning forest department as per law. (Annexure-D)
9. Divisional Forest Officer 'DFO' Renukoot, Sonbhadra informed that the dead body of female Cheetal within forest area near 'Dongia Reservoir' found on 14.04.2023 and disposed after postmortem by veterinary officer. As per postmortem report, the cause of death of the cheetal was found to be killed by a wild animal. (Annexure-E)
10. -Divisional Forest Officer 'DFO' Renukoot, Sonbhadra informed that the dead body of male Crocodile at bank of 'Dongia Reservoir' found on 11.10.2023 and disposed after postmortem by veterinary officer. (Annexure-F)

Conclusion / Recommendations / Suggestions:

Spot-Memo prepared based on ground inspection in the presence of joint committee members and other staff as well as applicant namely Shri Ajeet Kumar Gupta. Boating activity in reservoir, construction activity of Restaurant, evidence about to tree cutting near bank of reservoir, dead body of animals were not found

Scanned with OKEN Scanner

during site visit as per field observations. For past violation about to tree cutting and widening of road in forest area, action has been initiated against defaulters by forest department as per law. Hence, the suggestion of the joint committee is as follows: -

a) No development activity should be done by Nagar Panchayat-Pipri without prior permission under the Forest conservation Act 1980 from Forest Department.

The above Joint Committee report may be filed for kind information and consideration of this Committee.

	Name of the Committee members	Signature
1.	Shri Shadeo Kumar Mishra, ADM (F/R), Sonbhadra.	16/8/24
2.	Shri (Dr.) Bhanendra Singh, Divisional Forest Officer, Renukoot Forest Division, Sonbhadra.	16/08/24
3.	Shri Kunj Mohan Verma, Divisional Forest Officer ' DFO', Sonbhadra.	16.08.024
4.	Shri Sushil Kumar Singh, Executive Engineer, Rihand Dam Civil Division Pipri, Sonbhadra.	16/08/024
5.	Shri Umesh Kumar Gupta Regional Officer, UPPCB Sonbhadra.	16/08/2024
Dated: 16.08.2024		

Scanned with OKEN Scanner